

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 70/2018 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

भैराराम वगैरा बनाम पूराराम वगैरा

पीठारीन अधिकारी - श्री भूपेन्द्र कुमार यादव, आर.ए.एस

प्रार्थीगण वकील - श्री रतनाराम चौधरी

निर्णय

दिनांक - 26.06.2018

पत्रावली न्याय आपके द्वार 2018 लोक अदालत/कोर्ट कैम्प बिसारणिया में पेश हुई। प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि सरहद मौजा विरडों का तला, पटवार क्षेत्र बिसारणिया, तहसील चौहटन में खेत खसरा सं. 1118 रकबा 180.12 बीघा स्थित है। प्रार्थीगण के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पड़ोसी है। जिनके खेत प्रार्थीगण के खेत के पड़ोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काश्त अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते हैं। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थीगण ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थीगण की दरखास्त दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थीगण के वक्त काश्त प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओं को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। प्रार्थीगण विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रेकार्ड में दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण की दरखास्त स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।


अतः प्रार्थीगण की दरखास्त स्वीकार की जाकर विवादित भूमि सरहद मौजा विरडों का तला, पटवार क्षेत्र बिसारणिया, तहसील चौहटन में खेत खसरा सं. 1118 रकबा 180.12 बीघा भूमि की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार चौहटन को रुपये 500/- फीस पर कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर को निर्देश दिये जाते हैं कि वो दोनों पक्षों के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि किसी सक्षम न्यायालय से रथगन आदेश न हो तो वो दोनों पक्षों के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काश्त में परिवर्तन किये बिना मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। नेखमबन्दी के दौरान किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो। कमीशनर को कमीशनर फीस प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे।

कमीशनर को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थीगण के खसरों की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावें एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.06.2018 को न्याय आपके द्वार 2018 लोक अदालत/कोर्ट कैम्प बिसारणिया में सुनाया गया।




(भूपेन्द्र कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी, चौहटन
बाड़मेर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2018/
प्रार्थीगण :-

1. भैराराम 2.गोमाराम 3.नवलाराम
4. मघाराम पि.मालाराम, जाति जाट,
निवासी विरड़ों का तला, बिसारणिया
तहसील चौहटन।

दिनांक 06/07/18
विप्रार्थीगण:-

- 1.पूराराम पुत्र ताजाराम
एवं विप्रार्थी सं. 2 से 16 जाति भील
17.कुम्भाराम पुत्र जोगाराम
एवं विप्रार्थी सं. 18 से 21 जाति मेघवाल
22.केसाराम पुत्र मुकनाराम जाति जाट
निवासी विरड़ों का तला, बिसारणिया
23.हनुमानराम पुत्र डूंगराराम एवं
विप्रार्थी सं. 24 से 27, जाति सुथार
निवासी सुरते की ढाणी, धनारु

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम वास्ते करने नेखमबंदी बाबत ।

राजस्व आवेदन सं. 70/18

दिनांक : 26.06.2018

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन के मौजा विरड़ो का तला, पटवार क्षेत्र बिसारणिया के खेत खसरा सं. 1118 रकबा 180.12 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार चौहटन को कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति न हो तो उपरोक्त भूमि की मौके की स्थिति व कब्जा काशत में परिवर्तन किये बिना पेमाईश कर नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे। नेखमबंदी के दौरान किसी बिंदु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे ।

कमिशनर फीश प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे । नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों। प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2018/ 1604 to 1607
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थीगण भैराराम वगैरा
3. विप्रार्थीगण पूराराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/सेड्वा/धौरीमन्ना/बाखासर

(भूपेन्द्र कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी
दिनांक 06/07/18 चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन